

UTTARAKHAND

निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अर्न्तगत घोषित अवकाश

4- निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (एक्ट संख्या-26,1881) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पव-1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, श्री राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट छुट्टियों को सन् 2016 ई0 (शक संवत् 1937-38) के वर्ष में समस्त उत्तराखण्ड प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं:-

अनुलग्नक-3

क्र. सं.	त्यौहारों का नाम	ग्रेगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक संवत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी, 2016	06 माघ, 1937	मंगलवार
2	महाशिव रात्रि	07 मार्च, 2016	17 फाल्गुन, 1937	सोमवार
3	होलिका दहन	23 मार्च, 2016	03 चैत्र, 1938	बुधवार
4	होली	24 मार्च, 2016	04 चैत्र, 1938	बृहस्पतिवार
5	गुड फ्राइडे	25 मार्च, 2016	05 चैत्र, 1938	शुक्रवार
6	वाणिज्यक बैंकों की वार्षिक लेखा बन्दी	01 अप्रैल, 2016	12 चैत्र, 1938	शुक्रवार
7	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस	14 अप्रैल, 2016	25 चैत्र, 1938	बृहस्पतिवार
8	राम नवमी	15 अप्रैल, 2016	26 चैत्र, 1938	शुक्रवार
9	बुद्ध पूर्णिमा	21 मई, 2016	31 बैसाख, 1938	शनिवार
10	* ईद-उल-फितर	06 जुलाई, 2016	15 अषाढ़, 1938	बुधवार
11	स्वतन्त्रता दिवस	15 अगस्त, 2016	24 श्रावण, 1938	सोमवार
12	रक्षा बन्धन	18 अगस्त, 2016	27 श्रावण, 1938	बृहस्पतिवार
13	जन्माष्टमी	25 अगस्त, 2016	03 भाद्रपद, 1938	बृहस्पतिवार
14	* ईद-उल-जुहा (बकरीद)	13 सितम्बर, 2016	22 भाद्रपद, 1938	मंगलवार
15	महात्मा गाँधी जयन्ती	02 अक्टूबर, 2016	10 आश्विन, 1938	रविवार
16	दशहरा (विजयदशमी)	11 अक्टूबर, 2016	19 आश्विन, 1938	मंगलवार
17	दीपावली	30 अक्टूबर, 2016	08 कार्तिक, 1938	रविवार
18	दीपावली (गोवर्द्धन पूजा)	31 अक्टूबर, 2016	09 कार्तिक, 1938	सोमवार

कमश.....4.....पर/

-4-

19	दीपावली (भाईदूज)	01 नवम्बर, 2016	10 कार्तिक, 1938	मंगलवार
20	गुरु नानक जयन्ती	14 नवम्बर, 2016	23 कार्तिक, 1938	सोमवार
21	* ईद ए गिलाद / गिलाद-उल-नबी बारावफात	13 दिसम्बर, 2016	22 मार्गशीर्ष, 1938	मंगलवार
22	क्रिसमस	25 दिसम्बर, 2016	04 पौष, 1938	रविवार

*यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे।

अनुलग्नक-3 में घोषित अवकाश आर्थिक कार्य विभाग(बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के क्रम में जारी किये गये हैं, जो कि बैंक/कोषागारों/उप कोषागारों में लागू होंगे।

आज्ञा से,
(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।